

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
आदेश

सं० सं०-2/पेन-77/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2026

स्व0(डा0) रविशंकर रत्नाकर, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलीनगर, पाली काको, जहानाबाद द्वारा चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 04.11.2024 से 25.12.2024 तक एवं दिनांक 05.05.2025 से 09.05.2025 तक को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1993(25), दिनांक 17.09.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-232 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 04.11.2024 से 25.12.2024 तक	-	कुल-52(बावन) दिन रूपांतरित अवकाश। (कुल-104 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।
2	दिनांक 05.05.2025 से 09.05.2025 तक	-	कुल-5(पाँच) दिन रूपांतरित अवकाश। (कुल-10 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले)।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-77/2025-

206(2)

पटना, दिनांक 3/2/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डा० सुनीता कुमारी, पत्नी स्व०(डा०) रविशंकर रत्नाकर, भूतपूर्व चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलीनगर, पाली काको, जहानाबाद पता-कल्याण सदन, राम नगरी, सेक्टर-04, अशियाना नगर, पटना-25 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. M. Malal  
सरकार के उप सचिव।